सत्यमेव जयते

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 (अद्यतन संशोधित),

बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 (अद्यतन संशोधित),

बिहार विधान मंडल के पदाधिकारी (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006,

बिहार विधान मंडल (सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा) नियमावली, 2011

का

समेकित संकलन

वर्ष 2025

प्रस्तावना

संसदीय कार्य विभाग के नयाचार संबंधी परिपत्रों एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित परिपत्रों का संकलन वर्ष 2010 एवं 2015 में प्रकाशित किया गया है। इसमें माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु सभी आवश्यक विषयों को सम्मिलित किया गया है। बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित नियमावली के गठन के बाद 2006 से अब तक कई संशोधन हो चुके हैं। सभी संशोधनों का अलग–अलग अवलोकन करने से महानुभावों को देय सुविधाओं से अवगत होने में कठिनाई हो सकती है। अतः नवगठित अष्टादश बिहार विधान सभा के नव निर्वाचित सदस्यों एवं बिहार विधान परिषद् के सदस्यों को समुचित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इन सभी संशोधनों को समेकित रूप से संकलित किये जाने की आवश्यकता महसूस हुई। इस संकलन में बिहार विधान मंडल नेता, विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते), नियमावली, 2006, बिहार विधान मंडल के पदाधिकारी (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 तथा बिहार विधान मंडल (सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा) नियमावली, 2011 को भी शामिल किया गया है।

संसदीय कार्य विभाग द्वारा सदस्यों की सुविधाओं से संबंधित अद्यतन संशोधित नियमावलियों का समेकित संकलन आपके समक्ष प्रस्तुत है। आशा करता हूँ कि इससे सभी संबंधित महानुभावों को समुचित जानकारी उपलब्ध हो पाएगी।

(विजय कुमार चौधरी)
मंत्री
संसदीय कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 195 में प्रदत्त प्रावधान के तहत बिहार विधान मंडल सदस्यों का (वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 2006 अधिनियमित किया गया (अधिनियम सं0–16, 2006) एवं उक्त अधिनियम की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 (अधिसूचना सं0–930, दिनांक 23.09.2006), बिहार विधान मंडल नेता, विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते), नियमावली, 2006 (अधिसूचना सं0–929, दिनांक–23.09.2006) एवं बिहार विधान मंडल (सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा) नियमावली, 2011 (अधिसूचना सं0–1518, दिनांक–13.07.2011) गठित की गयी । इसके अतिरिक्त बिहार विधान मंडल के पदाधिकारी (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम–2006 (अधिनियम सं0–17, 2006) की धारा–4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विधान मंडल के पदाधिकारी (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 (अधिसूचना सं0–928, दिनांक–23.09.2006) गठित की गयी।

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 के गठन के बाद इसमें कई संशोधन किये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं–

I. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2006 (अधिसूचना संख्या–1082, दिनांक–16.11.2006)
II. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2006 (अधिसूचना संख्या–1375, दिनांक–29.12.2006)
III. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2008 (अधिसूचना संख्या–738, दिनांक–05.08.2008)
IV. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2010 (अधिसूचना संख्या–1053, दिनांक–02.06.2010)
V. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2011 (अधिसूचना संख्या–595, दिनांक–01.04.2011)
VI. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2013 (अधिसूचना संख्या–74, दिनांक–16.01.2013)
VII. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2013 (अधिसूचना संख्या–431, दिनांक–03.04.2013)
VIII. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2013 (अधिसूचना संख्या–1090, दिनांक–21.08.2013)
IX. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2014 (अधिसूचना संख्या–625, दिनांक–11.06.2014)
X. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2014 (अधिसूचना संख्या–808, दिनांक–07.08.2014)
XI. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2017 (अधिसूचना संख्या–173, दिनांक–06.03.2017)
XII. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2018 (अधिसूचना संख्या–793, दिनांक–26.11.2018)
XIII. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2022 (अधिसूचना संख्या–776, दिनांक–30.09.2022)

XIV. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2022 (अधिसूचना संख्या–864, दिनांक–09.11.2022)

XV. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2025 (अधिसूचना संख्या–660, दिनांक–14.08.2025)

बिहार विधान मंडल नेता, विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते), नियमावली, 2006 के गठन के बाद इसमें कई संशोधन किये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं–

(i) बिहार विधान मंडल नेता, विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते), (संशोधन) नियमावली, 2023 (अधिसूचना संख्या–231, दिनांक–27.02.2023)

(ii) बिहार विधान मंडल, नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते), (संशोधन) नियमावली, 2024 (अधिसूचना संख्या–784, दिनांक–12.09.2024)

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा बहुमूल्य सुझाव एवं मार्गदर्शन दिया गया कि विधान मंडल सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन से संबंधित नियमावली में कई संशोधन होने से अष्टादश बिहार विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों एवं बिहार विधान परिषद् के सदस्यों को देय सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। तदनुसार उपर्युक्त सभी संशोधनों को समेकित करते हुए प्रस्तुत संकलन तैयार किया गया है। आशा है कि इससे सभी सदस्यों को काफी सुविधा होगी।

03/10/2025

(अनुपम कुमार)
सचिव,
संसदीय कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 (अद्यतन संशोधित)

।। नि य मा व ली ।।

1. (1) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 कही जा सकेगी।

(2) यह नियमावली पहली अक्टूबर, 2006 से प्रवृत्त होगी।

2. इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो :–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 ;

(ख) ''सदन'' से अभिप्रेत है, यथास्थिति, बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद् ;

(ग) ''दिन'' से अभिप्रेत है कलेंडर वर्ष का मध्य रात्रि से चौबीस घंटे का दिन;

(घ) ''निवास स्थान'' से अभिप्रेत है

(i) बिहार विधान मण्डल के निर्वाचित सदस्यों के वह स्थान जो उनके द्वारा नाम निर्देशन पत्र में उल्लेखित स्थायी पता अंकित हो, या

(ii) गृह विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत उनका स्थायी निवास स्थान, जिसे सदस्य शपथ ग्रहण के बाद तुरंत सूचित करे,

(iii) बिहार विधान मण्डल के मनोनीत सदस्य के लिए वह स्थान जहां मतदाता सूची में उनका नाम हो।

''टिप्पणी :– निवास स्थान में किसी प्रकार का परिवर्तन नियमावली के आरंभ की तिथि से एक माह के भीतर सचिव को सूचित किया जाएगा।

(ङ.) ''सचिव'' से अभिप्रेत है, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के सचिव तथा इसमें विधान सभा या विधान परिषद् के सचिव द्वारा सशक्त किये गये, यथास्थिति, संयुक्त सचिव, उप–सचिव या अवर–सचिव सम्मिलित हैं,

(च) ''सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित कार्य'' से अभिप्रेत है ऐसा कोई कार्य जो सामान्यतः सदन के कृत्यों से उद्भूत हो और इसमें सदन या इसके पीठासीन पदाधिकारी द्वारा गठित, मनोनीत या नियुक्त विभिन्न समितियों, आयोगों, बोर्डों या अध्ययन दलों के कार्य अथवा किसी ऐसी समिति या सेमिनार आदि में, सदन के आदेशों और विनियमों द्वारा समिति के सदस्यों को सौंपे गये अन्य कार्य शामिल हैं, किन्तु इसमें सरकार अथवा स्वशासी निगमित निकायों द्वारा गठित, निमित्त या नियुक्त समितियों, आयोगों, बोर्डों और अध्ययन दलों में भाग लेना शामिल नहीं है।

(छ) ''माह'' से अभिप्रेत है कैलेंडर वर्ष का माह ;

(ज) ''प्राधिकृत चिकित्सक'' से अभिप्रेत है राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक/विधायक अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अथवा जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन)/राज्य में स्थित केन्द्रीय, राजकीय अथवा निबंधित चिकित्सा संस्थान/राज्य सम्पोषित चिकित्सा संस्थान के प्रभारी पदाधिकारी ;

(झ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार ;

(ञ) ''मरीज'' से अभिप्रेत है, सदस्य अथवा उसके परिवार का वह सदस्य जो बीमार हो ;

(ट) ''परिवार'' से तात्पर्य है, सदस्य की पत्नी/पति, आश्रित अवयस्क पुत्र/पुत्री अथवा ऐसे माता/पिता जो पूर्णतः सदस्य पर आश्रित हों ;

(ठ) ''उपचार'' से अभिप्रेत है, राज्य में स्थित केन्द्रीय/राजकीय/निबंधित अस्पतालों/नर्सिंग होमों में अथवा सरकारी चिकित्सक द्वारा अनुशंसित देश के किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल/नर्सिंग होम में चिकित्सीय एवं शल्य क्रिया द्वारा उपचार ;

(ड) इस नियमावली में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अभिप्रेत होंगे जो नियमावली में इसके प्रति समनुदेशित किये गये हो।

3. सदस्यों का वेतन। –

प्रत्येक सदस्य,

(क) भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में विधिवत अधिसूचित किये जाने की तिथि से ;

(ख) राज्यपाल द्वारा जिस जगह के लिए मनोनयन किया जाना है, उस जगह के लिए उनके द्वारा मनोनयन की तिथि से या यदि मनोनयन, पदरिक्त होने के पूर्व किया जाता है, तो पद रिक्त के होने की तिथि से ;

50,000/– (पचास हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से वेतन पाने के हकदार होंगे :

परन्तु, जहाँ कोई व्यक्ति, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित या किसी निगम, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार के अधीन या किसी व्यक्ति से अपने वेतन का हकदार हो और उस सरकार, निगम, स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार या व्यक्ति से वेतन प्राप्त करता हो और

(i) यदि वह वेतन की राशि इस नियमावली के अधीन प्राप्त होने वाली वेतन की राशि के समतुल्य या उससे अधिक हो तो वह किसी वेतन का हकदार नहीं होगा।

(ii) यदि वह वेतन की राशि इस नियम के अधीन प्राप्त होनेवाली राशि से न्यून हो तो वह इस नियमावली के अधीन उसी राशि का हकदार होगा जो कम हो।

(ग) उत्तरवर्ती नियमों के उपबंधों के अध्यधीन किसी सदस्य के किसी माह का वेतन उत्तरवर्ती माह के प्रथम दिन को देय होगा :

परन्तु किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने की दशा में, उसका वेतन उसी दिन तक देय होगा जिस दिन वह स्थान रिक्त होता हो तथा वेतन की निकासी उसके पश्चात किसी भी दिन की जा सकेगी।

(घ) स्थान रिक्त होने संबंधी सूचना की एक प्रति अंतिम वेतन विपत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

***टिप्पणी* – वेतन, भत्ते इत्यादि की निकासी, भुगतान एवं लेखा संधारण की प्रक्रियायें पूर्ववत रहेंगी।**

4. क्षेत्रीय भत्ता। – बिहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रतिमाह रु0 55,000/– (पचपन हजार) रुपये क्षेत्रीय भत्ता पाने का हकदार होगा।

5. मोटर गाड़ी क्रय हेतु ऋण की सुविधा। – बिहार विधान मण्डल के किसी सदस्य की मांग पर मोटर गाड़ी क्रय हेतु गाड़ी के मूल्य के समतुल्य राशि या अधिकतम 25,00,000/– (पच्चीस लाख) रुपये जो भी कम हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, राज्य सरकार द्वारा ऋण के रूप में स्वीकृत की जायेगी :–

(i) अग्रिम स्वीकृत करने हेतु वित्त विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारी, मंजूरी पदाधिकारी होंगे। अग्रिम की स्वीकृति के लिए आवश्यक आदेश वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी किये जायेंगे और स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं वितरण एवं वसूली, यथास्थिति, विधान सभा/ परिषद् सचिवालय द्वारा किया जायेगा।

(ii) मोटर गाड़ी अग्रिम की राशि (चेक/बैंक ड्राफ्ट) गाड़ी की कम्पनी/डीलर को सीधे भुगतेय होगी।

(iii) इस नियमावली के अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, वैसे विधान मण्डल के सदस्य भी मोटर गाड़ी क्रय हेतु पुनः अग्रिम प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो पूर्व में मोटर गाड़ी क्रय हेतु ली गयी अग्रिम की पूर्ण राशि, ब्याज सहित, वापस कर चुके हों, अथवा शेष अग्रिम की राशि सूद सहित यदि एक मुश्त लौटा देते हैं। विधान मण्डल के वैसे सदस्य, जो पुनः अग्रिम की मांग करते हों, उन्हें, यथास्थिति, सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् से प्राप्त इस आशय का प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा कि पूर्व में ली गयी अग्रिम की राशि सूद सहित वापस कर दी गयी है :

परन्तु, सदस्यों को एक कार्यकाल में सिर्फ एक बार कार–अग्रिम दिया जायेगा।

(iv) यदि मोटरगाड़ी का वास्तविक मूल्य स्वीकृत धनराशि से कम हो तो शेष धनराशि सरकार को तुरंत लौटा दी जायेगी।

(v) स्वीकृत धनराशि के आहरण के पूर्व ही सदस्य को नियमावली के परिशिष्ट (क) में विहित प्रपत्र में एक अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत अग्रिम के

आहरण के एक महीने के भीतर संबंधित सदस्य मोटरगाड़ी क्रय करके नियमावली की परिशिष्ट (ख) में विहित प्रपत्र में बंधक–पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त क्रय किये गये वाहन को बिहार राज्यपाल के नाम बंधक रखा जायेगा। अनुबंध–पत्र और बंधक–पत्र सुरक्षा तथा अभिलेख हेतु सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(vi) मोटर गाड़ी अग्रिम पर 5 प्रतिशत (पाँच प्रतिशत) साधारण वार्षिक ब्याज देय होगा।

(vii) मोटर गाड़ी अग्रिम की वसूली 60 (साठ) समान मासिक किश्तों में और यदि संबंधित सदस्य की विधान मण्डल की सदस्यता की अवधि 5 वर्षों से कम हो, तो ऐसे सदस्य की सदस्यता की आगामी अवधि के भीतर साठ से कम समान मासिक किश्तों में की जा सकेगी।

(viii) इस नियमावली के अधीन स्वीकृत अग्रिम तथा इस पर देय ब्याज की वसूली सदस्यों से उनके वेतन एवं भत्ते, यात्रा–भत्ता या किसी अन्य भत्ता या बिल से विधान सभा/विधान परिषद् के सचिव द्वारा अपेक्षित धनराशि की कटौती की जायेगी।

(ix) यदि ऋणी विधान मण्डल का सदस्य न रह जाय, तो मोटरगाड़ी अग्रिम की राशि, ब्याज सहित उनकी सदस्यता की अवधि की समाप्ति के बाद भी उनको देय पेंशन से वसूल की जायेगी।

(x) अग्रिम की वसूली मोटरगाड़ी क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि के आहरण के तुरंत बाद वाले माह से प्रारम्भ होगी।

(xi) सदस्य के अग्रिम की, ब्याज सहित, अवशेष सम्पूर्ण धनराशि नियत अवधि से पहले एकमुश्त जमा करने की छूट होगी।

(xii) यदि अग्रिम प्राप्त करने वाला सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त हो जाय तो भुगतेय ब्याज की दर, उसकी वसूली हेतु निर्धारित किश्तों की संख्या एवं अन्य शर्तें वही रहेंगी, जो इस नियमावली के अधीन विहित की गयी है।

(xiii) अग्रिम एवं ब्याज की वसूली का लेखा, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा रखा जायेगा। पेंशन से वसूली की स्थिति में, संबंधित जिले के

कोषागार पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह इस आशय का एक प्रमाण–पत्र, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को प्रेषित किया जायेगा कि संबंधित व्यक्ति से संबंधित माह में अग्रिम/सूद की किश्त की वसूली कर ली गयी है और सुसंगत प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा कर दिया गया है।

(xiv) यदि अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली के पहले ही सदस्य की मृत्यु हो जाये या वह किसी भी कारण से विधान मण्डल का सदस्य न रह जाय और वह पेंशन का हकदार न हो, या उसे किसी भी कारण से पेंशन नहीं प्राप्त हो या पेंशन बंद हो जाय और किसी अन्य कारण से वह अग्रिम/ब्याज की किश्तों का नियमित भुगतान नहीं कर पाये तो अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की अवशेष धनराशि, राज्य सरकार द्वारा वसूलनीय होगी और राज्य सरकार अवशेष राशि को सदस्य या उसके विधिक उत्तराधिकारियों से किसी भी तरह अथवा लोक मांग वसूली अधिनियम के अधीन लोक मांग वसूली के रूप में वसूली कर सकेगी।

(xv) 1. यदि जिस वाहन का क्रय सरकार से प्राप्त अग्रिम की सहायता से किया गया हो परन्तु अग्रिम की राशि अभी वसूलनीय हो, वैसी स्थिति में, गाड़ी को, उधार लेने वाला सदस्य, राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर बेच सकता है।

2. राज्य सरकार, वैसे दृष्टांतों में जिसमें अग्रिम की पूर्ण वसूली के पूर्व ही नये वाहन के क्रय हेतु पूर्व में अग्रिम से लिया गया वाहन बेचा जाता है, ऐसी बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग निम्नांकित शर्तों के अधीन, नये वाहन के क्रय हेतु करने की स्वीकृति दे सकते हैं :–

(क) बकाया अग्रिम की राशि क्रय किये जानेवाले वाहन की कीमत से ज्यादा न हो,

(ख) बकाया अग्रिम की राशि पूर्व से निर्धारित किश्तों एवं ब्याज की दर पर वसूल की जायेगी,

(ग) नये क्रय किये जानेवाले वाहन को बीमा कराकर राज्यपाल के नाम बंधक रखना होगा।

6. स्टेशनरी भत्ता। – बिहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य को भारत चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचित करने की तिथि से संसदीय कार्यों के सम्पादन के क्रम में पोस्टल, स्टेशनरी और कार्यालय व्यय वहन करने के लिए 15,000/– (पन्द्रह हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से स्टेशनरी भत्ता भुगतेय होगा।

7. निजी सहायक की सुविधा। – प्रत्येक सदस्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से संसदीय कार्यों में सहायता के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन निजी सहायक/सहायकों को रख सकेंगे; जिसके लिए उन्हें मात्र 40,000/– (चालीस हजार) रुपये प्रतिमाह देय होगाः

परन्तु, यह कि एक से अधिक निजी सहायक रखने पर भी अधिकतम 40,000/– (चालीस हजार) रुपये प्रतिमाह ही देय होगा और यह राशि सीधे निजी सहायक/सहायकों को ही भुगतेय होगा।

(1) निजी सहायक/सहायकों को रखने के बाद उन्हें, यथाशीघ्र, इसकी सूचना, यथास्थिति, सचिव, विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद् सचिवालय को विहित प्रपत्र में देनी होगी। विहित प्रपत्र बिहार विधान सभा सचिवालय/बिहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा विहित किया जायेगा।

(2) निजी सहायक/सहायकों को प्रतिमाह रुपये 40,000/– (चालीस हजार) रुपये की राशि, इसके लिए विपत्र प्रस्तुत करने पर दी जायेगी। यह राशि सदस्यों के वेतन एवं भत्ते का भाग नहीं होगी।

(3) सहायक को हटाकर दूसरे व्यक्ति को सहायक रखने का अधिकार सदस्य को होगा एवं उन्हें इसकी जानकारी, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को पुनः विहित प्रपत्र में देनी होगी।

(4) निजी सहायक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, बिहार सरकार अथवा बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मचारी होने का दावा नहीं करेगा तथा बिहार सरकार अथवा बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् में नियुक्त होने हेतु उसका कोई दावा ग्रहणीय नहीं होगा।

8. यात्रा भत्ता। –

(क) प्रत्येक सदस्य, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उप–चुनाव अथवा मनोनयन की दशा में, यथास्थिति, विधान मण्डल के संयुक्त अधिवेशन अथवा विधान सभा या विधान परिषद् के अन्य अधिवेशन में पहली बार उपस्थित होने के निमित्त, रेल यात्रा की दशा में, प्रथम श्रेणी/ए0सी0 टू–टीयर के किराये के ड्योढ़ा भाड़ा तथा निजी कार से यात्रा की दशा में, प्रति किलो मीटर 25/– (पच्चीस) रुपये मील भत्ता पाने का हकदार होगा ;

(ख) प्रत्येक सदस्य, यथास्थिति, विधान मंडल का संयुक्त अधिवेशन या विधान सभा या विधान परिषद् का अधिवेशन या विधान सभा/विधान परिषद् की समिति के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी अन्य कार्य में भाग लेने के निमित्त अपने निवास स्थान से उस स्थान तक, जहां संयुक्त अधिवेशन या विधान सभा/विधान परिषद् का अधिवेशन अथवा विधान सभा या विधान परिषद् की समिति की बैठक या अन्य कार्य किया जानेवाला हो, उनके द्वारा की गई प्रत्येक यात्रा और ऐसे स्थान से अपने निवास स्थान की वापसी यात्रा के लिए केवल निम्नलिखित प्राप्त करने का हकदार होगा :–

(i) रेल द्वारा की गई हरेक यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी/ए0सी0 टू–टीयर के किराये की आधी रकम की दर से आनुषांगिक खर्च ;

(ii) राज्य पथ परिवहन सेवा की बसों द्वारा की गयी हरेक यात्रा के लिए निर्धारित बस भाड़ा के समतुल्य अतिरिक्त राशि का आनुषांगिक खर्च ;

(iii) प्राईवेट बस द्वारा की गयी यात्रा के लिए बस भाड़े की दुगुनी राशि का भुगतान ;

(iv) निजी कार से सड़क मार्ग से की गयी यात्रा के लिए 25/– (पच्चीस) रुपये प्रति किलोमीटर की दर से 'मील–भत्ता' देय होगा।

(v) जल मार्ग से की गयी यात्रा के लिए वास्तविक खर्च :

परन्तु, जब सदस्य अपनी गाड़ी से यात्रा करता है तथा नदी के पार जाना हो तो वह मील भत्ता के अतिरिक्त वास्तविक जल–परिवहन खर्च पा सकेगा :

परन्तु सड़क मार्ग से की गयी यात्रा के लिए मील भत्ता, प्रत्येक सत्र के आरंभ में सदन की बैठक में भाग लेने के लिए और सत्रावसान के बाद अपने निवास स्थान वापसी के लिए, सिर्फ एक बार भुगतेय होगा :

परन्तु, और कि इस रकम का भुगतान उसी अवस्था में किया जायेगा जब सदस्य के पास निजी मोटर कार हो तथा वे इस आशय का प्रमाण–पत्र दें कि उन्होंने वास्तव में उक्त यात्रा अपनी मोटर कार से की है :

परन्तु, और भी कि यदि कोई सदस्य विधान सभा/विधान परिषद् की समिति की बैठक में भाग लेने के प्रयोजनार्थ निजी कार से यात्रा करे तो वह 25/– (पच्चीस) रुपये प्रति किलो मीटर की दर से मील भत्ता पाने का हकदार होगा किन्तु यह समिति की बैठक की समाप्ति के तत्काल बाद की गयी यात्रा अवधि के लिए ही अनुमान्य होगा और एक माह में ऐसी सिर्फ दो यात्राएँ ही अनुमान्य होंगी। मील भत्ता उसी सदस्य को भुगतेय होगा जो इस आशय का प्रमाण–पत्र दें कि उनके पास अपनी निजी कार है एवं उसी से उनके द्वारा यात्रा की गई है। ऐसे सदस्य को, जिनके पास निजी गाड़ी नहीं है, उन्हें इस प्रयोजनार्थ एक माह में मात्र दो बार रेल की यात्राओं के लिए प्रथम श्रेणी/ए0सी0 टू–टीयर का ड्योढ़ा रेल भाड़ा भुगतेय होगा :

परन्तु, और आगे कि राज्य के बाहर, रेल मार्ग से जुड़े स्थानों से भिन्न, किसी अन्य स्थान के लिए की गई यात्रा हेतु प्रति किलो मीटर 25/– (पच्चीस) रुपये की दर से प्रतिदिन अधिकतम 200 किलो मीटर की सीमा तक मील भत्ता भुगतेय होगा :

परन्तु यह और आगे भी कि वैसे सदस्य को यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा, जो साधारणतः उस स्थान से पाँच किलो मीटर के भीतर रहते हों, जहाँ संयुक्त अधिवेशन अथवा विधान सभा/विधान परिषद् का अधिवेशन या विधान सभा/विधान परिषद् की समिति की बैठक हुई हो या सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों से संबंधित अन्य कार्य किया गया हो।

(ग) नियमावली के अधीन जिस यात्रा के लिए यात्रा–भत्ता अनुमान्य है और जो रेल या सड़क द्वारा अथवा अंशतः सड़क और अंशतः रेल द्वारा तय की जा सकती हो उसके लिए यात्रा–भत्ता निकटतम मार्ग के यात्रा–भत्ता तक सीमित रहेगा चाहे वह किसी प्रकार की यात्रा की गई हो।

(घ) यदि अधिवेशन लगातार अवधि 21 दिनों से अधिक हो, और किसी सदस्य ने 15 दिनों तक अधिवेशन में भाग लिया हो, तो वह सरकारी खर्च पर एक बार घर लौटने के लिए अधिवेशन के स्थान से अपने निवास स्थान पर जाने और अपने निवास स्थान से अधिवेशन के स्थल तक वापस आने के लिए निम्नलिखित दर से यात्रा–भत्ता पाने का हकदार होगा, बशर्ते कि उक्त यात्राएँ वस्तुतः की गई हों और सदस्य द्वारा उसी अधिवेशन में पुनः भाग लिया गया हो :–

(i) रेल द्वारा की गई हरेक यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी/ए0सी0 टू–टीयर के किराये की आधी रकम आनुषांगिक चार्ज ;

(ii) राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से की गई हरेक यात्रा के लिए निर्धारित बस भाड़े के समतुल्य अतिरिक्त राशि का आनुषांगिक चार्ज ;

(iii) प्राईवेट बस द्वारा की गई यात्रा के लिए बस भाड़े की दुगुनी राशि का भुगतान और

(iv) निजी कार से की गयी यात्रा की दशा में, 25/– (पच्चीस) रुपये प्रति किलोमीटर की दर से मील भत्ता :

(v) जल मार्ग से की गयी यात्रा की दशा में वास्तविक खर्च :

परन्तु यह भी कि जब सदस्य अपनी गाड़ी से यात्रा करता हो तथा नदी के पार जाना हो, तो वह मील भत्ता के अतिरिक्त वास्तविक जल–परिवहन खर्च पा सकेगा :

परन्तु, सदस्य को इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि उनके पास अपनी निजी कार है एवं उसी से उनके द्वारा यात्रा की गई है।

स्पष्टीकरण – "अविच्छिन्न अधिवेशनमाला" वह मानी जायेगी जिसमें किन्हीं दो अधिवेशनों के बीच शनिवार और रविवार सहित नौ या उससे कम दिनों का अन्तराल पड़े जिसमें कोई अधिवेशन न हुआ है।

(ङ.) यात्रा–भत्ता, यात्रा पूरी करने के बाद, भुगतेय होगा और इसके लिए सदस्य विहित प्रपत्र में दावा करेंगे जो सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। सचिव ऐसे विपत्रों पर, इस बात का अपना पूरा समाधान कर लेने के बाद प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे कि सदस्य ने रेल या सड़क यात्रा में निकटतम मार्ग से

लोक–हित में और सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी अधिवेशन में या किसी कार्य में भाग लेने के लिए यात्रा की है। सचिव का यह दायित्व होगा कि सदस्य द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्रों के संबंध में अपना समाधान कर लें।

9. दैनिक भत्ता। –

(1) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सदस्य हर निवास दिन या उसके किसी अंश के लिए पटना में प्रतिदिन 3,000/– (तीन हजार) रूपये की दर से एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य के अन्दर अधिकतम बीस दिनों की यात्रा के लिए प्रतिदिन 3,000/– (तीन हजार) रूपये तथा राज्य के बाहर, अधिकतम 15 दिनों की यात्रा के लिए प्रतिदिन 3,500/– (तीन हजार पाँच सौ) रूपये दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा :

परन्तु, बैठक में भाग लेने हेतु की गयी यात्रा की अवधि एवं बैठक में भाग लेने के पश्चात् वापस लौटकर आने के लिए की गयी यात्रा की अवधि निवास दिन के रूप में जोड़ी जायेगी।

परन्तु और कि, सदस्य को पूरे माह के लिए अनुमान्य दैनिक–भत्ता उस अवस्था में भी देय होगा जब सदस्य अनुमान्य हवाई यात्रा/रेल यात्रा/सड़क यात्रा की हों।

(क) विधान सभा/विधान परिषद् के अधिवेशन में या संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित होने के प्रयोजनार्थ।

स्पष्टीकरण – इस निवास दिन में विधान सभा या विधान परिषद् का अधिवेशन या संयुक्त अधिवेशन या समितियों की बैठकों के प्रारंभ होने के पूर्व तथा समाप्त होने के बाद का अधिक से अधिक एक दिन के निवास की अवधि भी शामिल है :

परन्तु इसके लिए सदस्यों को इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि उन दिनों उस स्थान पर उपस्थित थे जहां ऐसे अधिवेशन हुए हों :

परन्तु और कि यदि इस नियम के खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ एक ही अधिवेशन या समितियों की बैठक में नौ या उससे कम दिन का अन्तराल पड़ जाय

जिसके द्वारा कोई अधिवेशन या समितियों की बैठक न हो, तो सदस्य ऐसे अधिवेशन या समितियों की बैठक के लिए विहित दर से दैनिक भत्ता पाने का हकदार होंगे, बशर्ते कि उक्त अन्तराल के पहले के अंतिम दिन तक अधिवेशन या समितियों की बैठक में अथवा बाद वाले अधिवेशन या समितियों की बैठक में भाग लिया हो।

स्पष्टीकरण – (i) *किसी तिथि को बैठक की समाप्ति पर सभा स्थल पर यदि कोई सदस्य आये किन्तु सदन की बैठक में भाग नहीं ले सके तो उसका उस दिन सभा–स्थल पर ठहरना सदन की बैठक में भाग लेने के लिए आवास नहीं माना जाएगा जबतक कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति, द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाय।*

(ii) *"अविच्छिन्न अधिवेशनमाला या समितियों की बैठक की अविच्छिन्न श्रृंखला वह मानी जायेगी जिसके किन्हीं दो अधिवेशनों या समितियों की बैठक के बीच शनिवार और रविवार सहित नौ या उससे कम दिनों का अन्तराल पड़े जिसमें कोई अधिवेशन नहीं हुआ हो या कोई बैठक नहीं हुई हो।*

(ख) विधान मंडल की समिति की बैठक में सम्मिलित होने के प्रयोजनार्थ।

राज्य के भीतर स्थल अध्ययन यात्रा के लिए समिति के सदस्यों को यथास्थिति, बिहार विधान सभा सचिवालय/बिहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित अन्य कार्यों में भाग लेने के प्रयोजनार्थ।

(2) यदि कोई सदस्य इस नियम 9 के खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ अधिवेशन या समितियों की बैठक के स्थान पर बीमार पड़ जाय और अधिवेशन या समितियों की बैठक में भाग लेने में असमर्थ हो जाय तो वह बीमारी की अवधि के लिए, जो एक वित्तीय वर्ष में (1 अप्रील से अगले वर्ष 31 मार्च तक) 21 दिनों से अधिक न होगी, दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा बशर्ते कि वह, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के पीठासीन पदाधिकारी से उनके समाधान के अनुरूप अपनी बीमारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दें :

परन्तु यदि कोई सदस्य इस नियम 9 खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ अस्पताल में अन्तर्वासी रोगी के रूप में पूरी अवधि के लिए, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष संतोषप्रद चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर, दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा।

10. रेल/विमान से यात्रा की सुविधा।–प्रत्येक सदस्य को, उनके कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकतम चार सहयात्री के साथ भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्रा के लिए रेलवे कूपन/प्रतिपूर्ति आधारित रेल यात्रा या विमान यात्रा या दोनों प्रकार की यात्रा हेतु एक वित्तीय वर्ष में रु0 4,00,000 (चार लाख) तक की राशि अनुमान्य होगी।

स्पष्टीकरण :– ''वर्ष'' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि होगी।

11. सदस्यों को आवास की सुविधा।–

(1) प्रत्येक सदस्य को, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से, या उसके कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से, पटना में ऐसी रियायती दर एवं अन्य शर्तों के अधीन मकान किराये का भुगतान करने पर, आवास उपलब्ध किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार का भवन निर्माण एवं आवास विभाग, यथास्थिति, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद् के सभापति की सहमति से समय–समय पर, यथास्थिति, नियमों द्वारा अवधारित एवं विहित करे।

(2) बिहार विधान मंडल के प्रत्येक सदस्य को आवास उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में रु0 35,000/– (पैंतीस हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से मकान किराया–भत्ता एवं विद्युत्, जल आपूर्ति, सैनेटरी तथा सफाई आदि सुविधाओं के लिए रु0 8,000/– (आठ हजार रुपये) प्रतिमाह अनुमान्य होगा। मकान किराया भत्ता के अतिरिक्त विद्युत्, जल आपूर्ति, सैनेटरी एवं सफाई आदि सुविधाओं के लिए प्रतिमाह भुगतान की दशा में नियम 15 के अधीन विद्युत् एवं जल विपत्र भुगतान हेतु कोई राशि देय नहीं होगी।

12. चिकित्सा की सुविधा। –

(1) बिहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य को, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से या उनके कार्यकाल का आरम्भ होने की तिथि

से, राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी के समान चिकित्सा सुविधायें अनुमान्य होंगी।

(2) बिहार विधान मण्डल के ऐसे सदस्यों की, गंभीर बीमारियों यथा—गुर्दा रोग, हृदय रोग, कैंसर, लकवा, रेटिना डीटेचमेंट, गुर्दा प्रत्यारोपण तथा एड्स या बड़ी दुर्घटना की स्थिति में, चिकित्सा पर होनेवाले व्यय का वहन राज्य सरकार करेगी :

परन्तु, बीमारी की चिकित्सा की अनुशंसा अनिवार्य होगी और सदस्य के अनुरोध पर विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सा पर होनेवाले अनुमानित व्यय का 75 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा अग्रिम के रूप में दी जायेगी, शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान, चिकित्सा पर हुये व्यय का ब्यौरा समर्पित करने पर किया जायेगा तथा सदस्य को सिर्फ एक सहयोगी का यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।

(3) विधान मण्डल के किसी सदस्य एवं उनके परिवार के किसी सदस्य के वाह्य चिकित्सा (ओ0पी0डी0) एवं अन्तर्वासी चिकित्सा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अवधारित नियमावली की शर्तों के अधीन की जायेगी।

13. विदेश यात्रा की सुविधायें।—सदस्य लोक कार्य से विदेश जाते हैं, तो उन्हें संसद सदस्य के समतुल्य विमान भाड़ा, दैनिक भत्ता आदि की सुविधायें अनुमान्य होंगी :

परन्तु, सदस्य राज्य सरकार की अनुमति लेकर ही विदेश यात्रा पर जा सकेगें।

14. सदस्यों को दूरभाष/मोबाईल/इंटरनेट भत्ता।—प्रत्येक सदस्य को भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना की तिथि या उनके कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि जो भी पहले हो से संसदीय कार्यों के सम्पादन हेतु समेकित रूप से रु0 8,300/— (आठ हजार तीन सौ) रुपये प्रतिमाह की दर से दूरभाष/मोबाईल/इंटरनेट भत्ता भुगतेय होगा। इसके लिए सदस्यगण को दूरभाष/मोबाईल/इंटरनेट विपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

15. सदस्यों को विद्युत् एवं जल विपत्र के भुगतान की सुविधा।—प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 30,000 (तीस हजार) यूनीट तक के विद्युत विपत्र का भुगतान, यथास्थिति, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् सचिवालय के द्वारा मात्र पटना निवास के लिये किया जायेगा। उक्त सीमा से अधिक विद्युत की खपत होने पर

उसका भुगतान सदस्यों को स्वयं करना होगा किन्तु जलापूर्ति के लिए कोई कर उन्हें भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

16. उपस्कर की सुविधा।–प्रत्येक आम निर्वाचन के बाद, विधान मंडल के सदस्य को स्थान ग्रहण करने के बाद रु0 1,00,000/– (एक लाख) उपस्कर के लिए, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा भुगतेय होगा। यह सुविधा उन्हें पूरे कार्यकाल में एक बार ही अनुमान्य होगी।

17. पूर्व सदस्यों को पेंशन एवं अन्य सुविधाएं। –

(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो बिहार विधान सभा/विधान परिषद् का सदस्य निर्वाचित/मनोनीत हुआ हो, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित करने या बिहार के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाने की तिथि से या उनका कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से 45,000/– (पैंतालीस हजार) रुपये प्रतिमाह आजीवन पेंशन पाने का हकदार होगा और पूरे कार्यकाल के आधार पर 4,000/– (चार हजार) रूपये प्रतिवर्ष की दर से पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकेगी।

परन्तु, छह माह से अधिक एवं एक वर्ष से कम अवधि की गणना पूरे वर्ष के रूप में की जायेगी :

परन्तु, यह भी कि तेरहवीं बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित करने की तिथि/उक्त विधान सभा का कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व–सदस्यों की भांति पेंशन/पारिवारिक पेंशन आदि की सुविधाएँ अनुमान्य होंगी।

परन्तु और भी कि बिहार विधान मण्डल के वैसे सदस्य, जो दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हों, अंतिम बार जिस सदन के सदस्य रहे हों, वहीं से उन्हें दोनों सदनों की सदस्यता अवधि की गणना करके पेंशन देय होगा।

(2) जहाँ उप नियम (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति :–

(i) राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित, या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्ति हो जाये; या

(ii) संसद के किसी सदन या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् का सदस्य हो जाये; या

(iii) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या किसी प्राधिकार या किसी व्यक्ति द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित किसी निगम के अधीन वेतन पर नियोजित हो जाय अथवा ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकार के किसी पारिश्रमिक का अन्यथा हकदार हो जाय,

वहाँ ऐसा व्यक्ति, उस अवधि के लिए उप नियम (1) के अधीन किसी पेंशन का हकदार नहीं होगा जिस अवधि के दौरान वह वैसा पद धारण करता रहा हो या वैसे सदस्य के रूप में बना रहा हो या इस प्रकार नियोजित रहा हो या ऐसे पारिश्रमिक का हकदार बना रहा हो :

परन्तु, जहां ऐसा पद धारण करने या ऐसा सदस्य होने या इस प्रकार नियोजित होने पर ऐसे व्यक्ति को देय वेतन या जहां ऐसे व्यक्ति को खण्ड (iii) निर्दिष्ट देय पारिश्रमिक, उप नियम (1) के अधीन उसे देय पेंशन से कम हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति इस नियमावली के अधीन पेंशन के रूप में सिर्फ शेष रकम ही प्राप्त करने का हकदार होगा।

(iv) सदन के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा गठित किसी निकाय, संस्था या संघ में, यदि राज्य विधान मण्डल के पूर्व सदस्य, पदाधिकारी/सदस्य के रूप में मनोनीत/नियुक्त किए जाएँ, तो उन्हें पूर्व सदस्य के रूप में देय पेंशन, रेलवे कूपन एवं चिकित्सा सुविधा के अतिरिक्त निकाय, संस्था या संघ के दायित्वों के निर्वहन के लिए उसी दर पर दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधाएँ अनुमान्य होगी, जो राज्य विधान मण्डल के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाए,

परन्तु वैसे निकाय, संस्था या संघ के कार्यक्रमों पर व्यय होने वाली राशि का उपबंध राज्य विधान मण्डल की व्यय विवरणी में उसी रूप में सम्मिलित किया जाएगा, जिस रूप में राज्य विधान मण्डल सचिवालय के व्यय का उपबंध से किया जायगा।

(3) **पारिवारिक पेंशन की सुविधा।**—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उप नियम (1) के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी/पति को आजीवन पारिवारिक पेंशन नीचे अंकित दर पर दिया जायेगा।

''पेंशन की राशि का 75 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन भुगतेय होगा'':

परन्तु, उप नियम (1) का उपबंध एवं शर्त मृत व्यक्ति की पत्नी/पति पर भी लागू होंगे :

परन्तु, और कि यदि पारिवारिक पेंशन पानेवाला व्यक्ति अगर शादी कर ले तो ऐसी दशा में पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकारी नहीं रह जायेगा।

(4) रेल/विमान से यात्रा की सुविधा। – बिहार विधान मण्डल के पूर्व सदस्य को अधिकतम तीन सहयात्री के साथ भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्रा के लिए रेलवे कूपन/प्रतिपूर्ति आधारित रेल यात्रा या विमान यात्रा या दोनों प्रकार की यात्रा हेतु एक वित्तीय वर्ष में रु0 2,00,000/– (दो लाख) तक की राशि अनुमान्य होगी :

परन्तु, वैसे पूर्व सदस्य भी, जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अधीन वेतन पर नियोजित हैं, रेल/विमान यात्रा के हकदार होंगे :

परन्तु और कि, वे रेल/विमान से की गयी यात्रा के लिए अपने विश्वविद्यालय/कॉलेज से यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ता प्राप्त नहीं कर सकेंगे तथा उन्हें इस आशय का शपथ–पत्र, यथास्थिति, सचिव, विधान सभा/सचिव, विधान परिषद् को एवं अपने नियोजन के प्राधिकार को देना होगा।

(5) चिकित्सा सुविधा।–उप नियम (1) के अधीन पेंशन पानेवाले भूतपूर्व विधायक को आजीवन निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या, दवा की आपूर्ति तथा अस्पताल में भर्ती होने की सुविधायें उस पैमाने एवं शर्त पर प्रदान की जायेगी जो राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर नियमों द्वारा विहित की जाय।

18. राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों की व्याख्या करने तथा समय–समय पर उसमें संशोधन का अधिकार होगा।

19. निरसन एवं व्यावृत्ति। –

(i) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से निम्नलिखित नियमावली निरस्त समझी जायेगी :–

(1) बिहार विधान मण्डल (सदस्यों के वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 1961।

(2) बिहार विधान मण्डल (सदस्यों की दूरभाष सुविधायें) नियमावली, 1976।

(3) बिहार विधान मण्डल सदस्यों के सहयोगी (रेलवे कूपन एवं रोड पास) नियमावली, 1976।

(4) बिहार संसदीय सचिव (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 1978।

(5) बिहार संसदीय सचिव (मोटर कार अग्रिम) नियमावली, 1961।

(6) बिहार विधान मण्डल (सदस्यों को मोटर गाड़ी हेतु अग्रिम) नियमावली, 1993।

(ii) ऐसे निरसन होते हुए भी, उपर्युक्त उक्त नियम (1) उल्लेखित नियमावलियों के अधीन इस नियमावली के आरम्भ के पूर्व की गई किसी कार्रवाई या किये गये कुछ भी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के उप–सचिव।

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग

।। अ धि सू च ना ।।

23 सितम्बर, 2006

संख्या–सं0का01 / वि0मं0(नियम0)4053 / 2006–929 / बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधि0 सं0–16, 2006) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथाः–

।। नि य मा व ली ।।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। –

(1) यह नियमावली **बिहार विधान मण्डल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006** कही जा सकेगी।

(2) यह नियमावली पहली अक्टूबर, 2006 से प्रवृत्त होगी।

2. इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो,

(क) ''नेता विरोधी दल'' से अभिप्रेत है अध्यक्ष, बिहार विधान सभा या सभापति, बिहार विधान परिषद् के द्वारा, यथास्थिति, बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद् में सदन के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति;

(ख) ''मुख्य सचेतक'', ''उप–मुख्य सचेतक'' और ''सचेतक'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा सदस्य जो सरकार गठित करनेवाले सत्तारूढ़ दल द्वारा मुख्य सचेतक, उप–मुख्य सचेतक और सचेतक के रूप में नियुक्त हुआ हो तथा मान्यता प्राप्त मुख्य विरोधी दल का मुख्य सचेतक;

(ग) ''सदन नेता'' एवं ''उप–नेता'' से अभिप्रेत है ऐसा कोई सदस्य जो सरकार गठित करनेवाले सत्तारूढ़ दल द्वारा बिहार विधान परिषद् में सदन नेता एवं उपनेता नियुक्त हुआ हो;

(घ) ''संसदीय सचिव'' से अभिप्रेत है मुख्य मंत्री के द्वारा उस रूप में नियुक्त सदस्य;

(ड.) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है विधान सभा / विधान परिषद् का कोई सदस्य।

(च) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006;

(छ) ''निजी स्टाफ'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम 2(क) से 2(घ) तक विनिर्दिष्ट महानुभावों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमान्य निजी स्टाफ।

(ज) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार।

(झ) ''भत्ते'' से अभिप्रेत है, क्षेत्रीय भत्ता, आतिथ्य भत्ता, यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता।

(ञ) ''यात्रा भत्ता'' से अभिप्रेत है, ऐसा भत्ता जो रेल/बस/सड़क मार्ग/जल मार्ग से की गयी यात्रा के लिए अनुमान्य हो।

(ट) ''सुविधायें'' से अभिप्रेत है, आवास, वाहन, दूरभाष, चिकित्सा, उपस्कर, कार अग्रिम, रेलवे कूपन एवं निजी कर्मियों की सुविधा।

3. नियम 2(क) से 2(घ) तक में विनिर्दिष्ट महानुभावों को वेतन, भत्ते एवं सुविधायें –

(क) विधान मंडल के दोनों सदनों के नेता विरोधी दल, मुख्य सचेतक (सत्तारूढ़ दल) तथा विधान परिषद् के सदन नेता एवं उप–नेता सरकार के मंत्री के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें पाने के हकदार होंगे।

(ख) विधान मण्डल के दोनों सदनों के उप–मुख्य सचेतक (सत्तारूढ़ दल) एवं मुख्य विरोधी दल के मुख्य सचेतक सरकार के राज्य मंत्री के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें पाने के हकदार होंगे।

(ग) विधान मंडल के दोनों सदनों के सचेतक सरकार के राज्य मंत्री के समान वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधायें पाने के हकदार होंगे।

(घ) संसदीय सचिव को सरकार के द्वारा जो भी दर्जा प्रदान की जायेगी, उसी के अनुरूप वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें पाने के हकदार होंगे।

(ड.) नियम 2(क) से 2(घ) तक में विनिर्दिष्ट महानुभावों को निजी स्टाफ की वही सुविधायें प्राप्त होंगी जो उन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप–मंत्री के रूप में प्राप्त दर्जा के अनुरूप होगी।

स्पष्टीकरण *:–*

(i) इस नियमावली के नियम 2(क) से 2(ग) तक में विनिर्दिष्ट महानुभावों को यथास्थिति विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय से वेतन एवं भत्ते का भुगतान तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) संसदीय सचिव को वेतन एवं भत्ते का भुगतान तथा अन्य सुविधायें सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) ''बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के सत्तारूढ़ दल के माननीय मुख्य सचेतक, उप–मुख्य सचेतक, सचेतकगण तथा विरोधी दल के मुख्य सचेतक को राज्य सरकार के माननीय मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप–मंत्री को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार के विभिन्न संकल्पों द्वारा दिये गये एच0ओ0आर0 की सुविधा,

अथवा

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 (अद्यतन संशोधित) द्वारा माननीय सदस्य के रूप में देय रेल/विमान से यात्रा की सुविधा।

उपर्युक्त दोनों विकल्पों में से किसी एक सुविधा का चयन महानुभावों द्वारा उनके मनोनयन की अधिसूचना की तिथि या इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर किया जा सकेगा।''

4. राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों के व्याख्या करने तथा समय–समय पर इसमें संशोधन करने का अधिकार होगा।

5. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**–इस नियमावली के लागू होने की तिथि से निम्नलिखित नियमावली निरस्त समझी जायेगी :–

(1) बिहार विधान मण्डल सचेतक और सदन नेता (सुविधा और भत्ता) नियमावली, 1980 (तथा उसमें समय–समय यथा संशोधित)।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किये गये किसी कार्य या की गयी किसी कार्रवाई पर इस नियमावली का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग

।। अ धि सू च ना ।।

23 सितम्बर, 2006

संख्या–सं0का01/वि0मं0(पीठासीन पदा0)4024/2006–928/ बिहार विधान मण्डल के पदाधिकारियों के (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0–17, 2006) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा :–

।। नि य मा व ली ।।

1. (1) यह नियमावली **बिहार विधान मण्डल के पदाधिकारी (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006** कही जा सकेगी।

(2) यह नियमावली पहली अक्टूबर, 2006 से प्रभावी होगी।

2. इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो;

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार विधान मण्डल (पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2006।

(ख) ''अग्रिम'' से अभिप्रेत है विधान मण्डल के पदाधिकारियों को निजी गाड़ी खरीदने के लिए दी जानेवाली अग्रिम की राशि।

(ग) ''परिवार'' से अभिप्रेत है विधान मण्डल के पदाधिकारी के पत्नी/पति, आश्रित पुत्र/पुत्री अथवा ऐसे माता/पिता जो पूर्णतः सदस्य पर आश्रित हों।

(घ) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है बिहार विधान सभा के अध्यक्ष।

(ड.) ''उपाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष।

(च) ''सभापति'' से अभिप्रेत है बिहार विधान परिषद् के सभापति/कार्यकारी सभापति।

(छ) ''उप–सभापति'' से अभिप्रेत है बिहार विधान परिषद् के उप–सभापति।

(ज) ''संयुक्त समिति'' से अभिप्रेत है ऐसी समिति जो विधान सभा एवं विधान परिषद् के द्वारा दोनों के सदस्यों को शामिल कर गठित की गयी हो।

(झ) ''संयुक्त बैठक'' से अभिप्रेत है विधान सभा एवं विधान परिषद् के सदस्यों का संयुक्त बैठक।

(ञ) ''सभा की बैठक'' से अभिप्रेत है बिहार विधान सभा की बैठक अथवा बिहार विधान सभा द्वारा नियुक्त एवं विधान सभा के सदस्यों को मिलाकर गठित समिति की बैठक।

(ट) ''परिषद् की बैठक'' से अभिप्रेत है बिहार विधान परिषद् की बैठक अथवा बिहार विधान परिषद् के द्वारा परिषद् के सदस्यों को मिलाकर गठित समिति की बैठक।

(ठ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार।

(ड) ''भत्ते'' से अभिप्रेत है, क्षेत्रीय भत्ता, आतिथ्य भत्ता, यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता।

(ढ़) ''यात्रा भत्ता'' से अभिप्रेत है, ऐसा भत्ता जो रेल/बस/सड़क मार्ग/जल मार्ग से की गयी यात्रा के लिए अनुमान्य हो।

(ण) ''सुविधायें'' से अभिप्रेत है, आवास, वाहन, दूरभाष, चिकित्सा, उपस्कर, कार अग्रिम, रेलवे कूपन एवं निजी कर्मियों की सुविधा।

3. विधान मंडल के पदाधिकारी को वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें। –

(क) अध्यक्ष/सभापति सरकार के मंत्री के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें पाने के हकदार होंगे।

(ख) उपाध्यक्ष/उप–सभापति सरकार के राज्य मंत्री के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें पाने के हकदार होंगे।

स्पष्टीकरण :– *अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा सभापति/उप सभापति को यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय के द्वारा वेतन, भत्ते का भुगतान एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी।*

4. राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों को व्याख्या (इंटरप्रेट) करने तथा समय–समय पर इसमें संशोधन करने का अधिकार होगा।

5. निरसन एवं व्यावृत्ति। –

(i) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से निम्नलिखित नियमावली निरस्त समझी जायगी :–

(1) बिहार विधान मण्डल पीठासीन पदाधिकारी (भत्ते) नियमावली, 1954।

(2) अध्यक्ष एवं सभापति के लिए मोटर कार अग्रिम नियमावली, 1953।

(3) बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद् के उप–सभापति भत्ता नियमावली, 1958।

(4) उपाध्यक्ष एवं उप सभापति कार अग्रिम नियमावली, 1958।

(ii) इस नियमावली के होते हुए भी पूर्व नियमावलियों के प्रावधानों के अधीन की गयी यात्राओं पर इस नियमावली का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के उप–सचिव।

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

बिहार विधान मंडल (सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा) नियमावली, 2011

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।**–(1) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा) नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार बिहार विधान मंडल के सदस्यों तक होगा।

   (3) यह अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।**–जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में –

   (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 2006;

   (ख) ''सभा सचिवालय'' से अभिप्रेत है बिहार विधान सभा सचिवालय;

   (ग) ''परिषद सचिवालय'' से अभिप्रेत है बिहार विधान परिषद् सचिवालय;

   (घ) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है बिहार विधान मंडल का कोई सदस्य;

   (ड.) ''परिशिष्ट'' से अभिप्रेत है इस नियमावली का परिशिष्ट;

   (च) ''प्राधिकृत व्यवहारी (डीलर)/आपूर्तिकर्ता'' से अभिप्रेत है अपने उत्पाद की बिक्री के लिए कम्प्यूटर उपकरण के मूल उपकरण विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत फर्म;

   (छ) ''कम्प्यूटर उपकरण'' से अभिप्रेत है डेटा के भंडारण, पुनःप्राप्ति, प्रोसेसिंग, स्कैनिंग, अंतरण और मुद्रण के लिए समर्थ, किसी भी नाम से जाने जानेवाले सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजिट और इसमें परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट सभी उपकरण सम्मिलित है;

   (ज) ''प्रक्रिया'' से अभिप्रेत है इस स्कीम के अधीन कम्प्यूटर उपकरण के उपापन तथा सदस्यों को प्रतिपूर्ति/अग्रिम भुगतान की प्रक्रिया;

   (झ) ''स्कीम'' से अभिप्रेत है कम्प्यूटर उपकरण क्रय करने हेतु बिहार विधान मंडल के सदस्यों की वित्तीय हकदारी की स्कीम;

   (ञ) ''सॉफ्टवेयर'' से अभिप्रेत है कम्प्यूटर चलाने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम अथवा प्रोग्रामों का सेट और इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर भी शामिल है;

   (ट) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अभिप्रेत होंगे, जो अधिनियम में उनके प्रति समनुदेशित किये हैं।

3. कम्प्यूटर उपकरण के लिए सदस्यों की वित्तीय हकदारी की स्कीम एवं प्रक्रिया। –

(1) वित्तीय हकदारी स्कीम के माध्यम से सदस्यों द्वारा कम्प्यूटर उपकरण प्राप्त किया जाएगा।

(i) बिहार विधान मंडल के सदस्य के रूप अपनी पदावधि के दौरान इस स्कीम के अधीन कम्प्यूटर उपकरण और सॉफ्टवेयर के क्रय के लिए सदस्य की वित्तीय हकदारी अधिकतम 1,00,000/–(एक लाख) रूपये तक होगी।

(ii) इस नियमावली के अधीन अन्य शर्तों के होने पर भी विधान मण्डल के वैसे सदस्य, जिन्हें पूर्व में लैपटॉप कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जा चुका है, भी नई स्कीम के लिए विकल्प दे सकेंगे।

परन्तु उन्हें लैपटॉप कम्प्यूटर के ह्रासित मूल्य के समतुल्य राशि विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय में जमा करनी होगी अथवा उक्त राशि को नई स्कीम की राशि से कटौती करने के आशय का पत्र विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को देना होगा। लैपटॉप कम्प्यूटर के ह्रासित मूल्य का निर्धारण बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बेलट्रॉन) द्वारा किया जायेगा।

(2) कोई भी सदस्य इस स्कीम के अधीन परिशिष्ट–I में विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर उपकरण के किसी अथवा सभी मदों की खरीद करने का हकदार होगा।

(3) कोई भी सदस्य अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर उपकरण और सॉफ्टवेयर के किसी मॉडल को खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा। इस शर्त के अध्यधीन कि प्रतिपूर्ति/भुगतान की कुल रकम इस नियम के उप नियम 1 के खण्ड (i) के अधीन हकदारी से अनधिक हो, परिशिष्ट–I में विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर उपकरण की एक से अधिक इकाई की खरीद के लिए भी वह समान रूप से स्वतंत्र होगा।

परन्तु, सदस्य द्वारा खरीदे गए उपकरण की लागत, उसकी वित्तीय हकदारी से अधिक होने की दशा में, उसकी अंतर राशि का वहन सदस्य द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(4) सदस्य परिशिष्ट–II में विनिर्दिष्ट ब्रांडों के कम्प्यूटर प्राधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से क्रय करेगा।

(5) किसी भी सदस्य को किसी ब्रांड का प्रिंटर, स्कैनर और यू०पी०एस० खरीदने की स्वतंत्रता होगी।

(6) किसी सदस्य की वित्तीय हकदारी कम्प्यूटर उपकरण की खरीद की तारीख को नियत राशि होगी। जहाँ कोई सदस्य उपकरण का क्रय अंशतः करता हो, वहाँ वह पहली बार कम्प्यूटर उपकरण के उपापन के समय नियत राशि की हद तक प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा। उसकी हकदारी उसके प्रथम उपापन के पश्चात् राशि में वृद्धि/ह्रास से प्रभावित नहीं होगी।

(7) इस स्कीम के अधीन सदस्य द्वारा खरीदा गया कम्प्यूटर उपकरण उसके पास ही रहेगा। किन्तु यदि वह सदस्य न रह जाता है तो विद्यमान आयकर नियमावली के अनुसार उसे कम्प्यूटर उपकरण का ह्रासित मूल्य जमा करना होगा।

4. **अग्रिम भुगतान।**—कम्प्यूटर उपकरण की खरीद हेतु अग्रिम का भुगतान विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा प्राधिकृत व्यवसायियों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्गत कच्चा बीजक (प्रोफार्मा इन्वायस) के विरूद्ध किया जायेगा।

5. **लेखा संधारण एवं अंकेक्षण।**—लेखा संधारण एवं अंकेक्षण के प्रयोजनार्थ सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा कच्चा बीजक पर भुगतान किये जाने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित खरीद का मूल प्रमाण उपलब्ध करायेगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्गत बिल (विपत्र)/कैशमेमो खरीद का स्वीकार्य सबूत होगा, बशर्ते उसमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट हो/दर्शाया गया होः—

(i) बेचे गए हरेक उपकरण की क्रम संख्या;

(ii) यह तथ्य कि माल दे दिया गया है;

(iii) यह तथ्य कि पूरा भुगतान प्राप्त कर लिया गया है।

6. **कम्प्यूटर उपकरण का रख—रखाव और बीमा।**—यह निर्णय सदस्य को ही करना होगा कि वह स्कीम के अधीन खरीदे गए कम्प्यूटर उपकरण का बीमा कराना चाहते हैं या नहीं। कम्प्यूटर उपकरण का रख—रखाव एवं बीमा की व्यवस्था सदस्य द्वारा स्वयं किया जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

परिशिष्ट–I

कम्प्यूटर उपकरण और सॉफ्टवेयर के मद

1. डेस्कटॉप कम्प्यूटर
2. लैपटॉप कम्प्यूटर/नोट बुक कम्प्यूटर/टैबलेट इत्यादि
3. पेन ड्राइव
4. सी०डी०/डी०वी०डी०
5. प्रिन्टर (डेस्क जेट/लेजर जेट/बहु कार्यात्मक/पोर्टेबल)
6. स्कैनर
7. यू०पी०एस० (मात्र डेस्कटॉप के साथ)
8. हाथ से पकड़ा जानेवाला (हैंडहेल्ड) कम्यूनिकटर/पॉमटॉप कम्प्यूटर
9. डेटा इंटरनेट कार्ड
10. एम०एस० ऑफिस सूइट
11. वाइरस रोधी सॉफ्टवेयर
12. भाषा सॉफ्टवेयर और आवाज की पहचान करनेवाला सॉफ्टवेयर
13. अन्य कम्प्यूटर सहायक उपकरण।

परिशिष्ट–II

डेस्कटॉप/लैपटॉप कम्प्यूटर उपकरण के ब्रांडों की सूची

1.	एसर	Acer
2.	डेल	Dell
3.	एच०सी०एल	HCL
4.	एच०पी०	HP
5.	लेनेवो	Lenovo
6.	पी0सी0एस0	PCS
7.	विप्रो	Wipro
8.	एप्पल	Apple
9.	सोनी	Sony
10.	सैमसंग	Samsung

बि0स0मु0 (संसदीय), 2 मो0जी0–1000–14.10.2025